International Research Journal of Humanities, Language and Literature
ISSN: (2394-1642)
Impact Factor 7.972 Volume 11, Issue 9, September 2024
Association of Academic Researchers and Faculties (AARF)
Website-www.aarf.asia, Email : editor@aarf.asia , editoraarf@gmail.com

महाभारतयुगोन राज व्यवस्था के विभिन्न स्वरूप, पद्धति और विधान

प्रियंका राठौड़
प्राध्यापक, आराधना डिग्री कॉलेज
आहोर, जालौर

"नारायणं नमस्कृत्य नरं चौव नरोत्तमम।
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ।।

महाभारत काल से पूर्व धर्म और अर्थ दोनों को समान स्थान दिया गया था। महाभारत में बार–बार कहा गया है कि धर्म के साथ अर्थ को अधिक महत्व दें।' शान्तिपर्व' में मन्तव्य स्पष्ट है कि राजाओं को प्रयत्न करके निरन्तर अपने कोष की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि कोष ही उनकी जड़ है, कोष ही राज्य को आगे बढ़ाने वाला होता है। कोष को राजा की शक्ति भी माना गया है।' एक स्थल पर उल्लेख है कि यदि राजा बलहीन हो तो उसके पास कोष कैसे रह सकता है? कोषहीन के पास सेना कैसे रह सकती है? जिसके पास सेना नहीं है, उसका राज्य कैसे स्थिर रह सकता है और राज्यहीन के पास धन कैसे रह सकता है।'

कर सिद्धान्त :– महाभारत में राजा को अधिकार नहीं था कि वह प्रजा से मनमाना कर वसूल कर सके। राजा पर धर्म की मर्यादा का अंकुश होने के कारण वह केवल धर्मानुकूल राजस्व वृद्धि हेतु ही कर वसूल करने का अधिकारी था। महाभारत में कहा गया है कि राजा को कोष वृद्धि के लिए स्वेच्छापूर्वक कर ग्रहण न करते हुए साम, दाम, दण्ड और भेद आदि शास्त्र–सम्मत उपायों से धन प्राप्त करना चाहिए।' शान्तिपर्व'' में स्पष्ट किया गया है कि शास्त्र के विपरीत चलने वाला राजा न तो धर्म की सिद्धि कर पाता है, और न अर्थ की ही। महाभारत में स्पष्ट उल्लेख ह कि जो राजा धन के लोभवश प्रजा से शास्त्र विरुद्ध अधिक कर लेकर उसे कष्ट पहुँचाता है वह अपने ही हाथों से अपना विनाश करता है।[1] कहा गया है कि राजा धर्म के अधीन है, अतः राजा को अपनी प्रजा से धर्मानुकूल कर ग्रहण करना चाहिए।' जैसे– दूध चाहने

© Association of Academic Researchers and Faculties (AARF)
A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International e-Journal - Included in the International Serial Directories.

वाला मनुष्य यदि गाय का थन काट ले तो इससे वह दूध नहीं पा सकता, उसी प्रकार राज्य में रहने वाली प्रजा का अनुचित उपाय से शोषण किया जाये तो उससे राष्ट्र की उन्नति नहीं होती है।'' राजा कोअपनी प्रजा से कर ग्रहण इस तरह से करना चाहिए कि प्रजा को कर–भार महसूस ही न हो। जैसे जोक धोरे–धीरे शरीर का रक्त चूसती है उसी प्रकार राजा भी कोमलता के साथ ही राष्ट्र से कर वसूल करें। जैसे बाधिन अपने बच्चे को यांत से पकड़ कर इधर–उधर ले जाती है, परन्तु न तो उसे काटती है और न उसके शरीर में पीड़ा ही पहुँचाने देती है, उसी प्रकार राजा कोमल उपायों से ही राष्ट्र का दोहन करें। जैसे भौरा धीरे–धीरे फूल एवं वृक्ष का रस लेता है, वृक्ष को काटता नहीं है, जैसे मनुष्य बछड़े को कष्ट न देकर धीरे–धीरे गाय दुहता है, उसके चनों को कुचल नहीं डालता है, उसी प्रकार राजा कोमलता के साथ राष्ट्र रूपी गौ का दोहन करें, उसे कुचले नहीं। अन्यत्र कहा गया है कि राजा को लोगों के आय–व्यय को देखकर ताड़ के वृक्ष से रस निकालने की भाँति उनसे धन रूपी रस लेना चाहिए। अर्थात् जैसे रस के लिए पेड़ को काट नहीं दिया जाता, उसी प्रकार राजा प्रजा का उच्छेद न करें।''[2]

निरूपण व्यवस्थाः– महाभारत में प्रजा से कर ग्रहण करते समय राजा के लिए अपने समक्षकर की नीति का उल्लेख हुआ है। भीष्म पर्व में भीष्म युधिष्ठिर से कहते हैं कि ''महाराज को चाहिए किवह लोगों की हैसियत के अनुसार भारी व हल्का कर लगावें। राजा को उतना ही कर लेना चाहिए।'' कहींऐसा न हो कि राजा अधिक तृष्णा के कारण अपने जीवन के मूल आधार, प्रजा के जीवनभूत खेती–बाड़ीआदि का उच्छेद ही कर डाले। यदि राजा अधिक शोषण करने वाला विख्यात हो जाए तो सारी प्रजा उससेद्वेष करने लगती है।'' जिसकी प्रजा सर्वदा कर भार से पीड़ित हो, नित्य उद्विग्न रहती हा और नाना प्रकारके अनर्थ उसे सताते रहते हो, वह राजा पराभव को प्राप्त होता है।''[3] प्रजा के अधिक शोषण का परिणामयह होगा कि कर देने वाली प्रजा अपने जीवन का आधारभूत व्यवसाय कृषि पशुपालन आदि छोड़ देगी याअन्य उद्योग–धन्धो में संलग्न लोग अपना व्यवसाय छोड़ देंगे। परिणामस्वरूप आर्थिक उत्पादन बन्द होनेलगेगा और राष्ट्र विनाश के कगार पर पहुँच जायेगा। अतः शासक को चाहिए कि वह जनसाधारण परआवश्यकता से अधिक करारोपण न करे, क्योंकि अत्यधिक कर भार से प्रजा को कष्ट होगा और जोप्रजावर्ग का प्रिय नहीं होता, उसे कोई लाभ नहीं मिलता, उसका कल्याण नहीं होता।''[4]राजा को परामर्शदिया गया है कि वह प्रजावर्ग का 'कर' के द्वारा शोषण कम करें, क्योंकि जिस गाय का दूध अधिक नहीं दुहाजाता उसका बछड़ा अधिक काल तक उसके दूध से

पुष्ट एवं बलवान होकर भारी भार ढ़ोने का कष्ट सहनकर लेता है, परन्तु जिसका दूध अधिक दुह लिया जाता है, उसका बछड़ा कमजोर होने के कारण वैसा कामनहीं कर पाता।'' इसी प्रकार राष्ट्र का भी अधिक दोहन करने से वह राष्ट्र दरिद्र हो जाता है, इस कारणवह कोई महान् कर्म नहीं कर पाता। अतः राजा को चाहिए कि पहले वह थोड़ी मात्रा म कर वसूल करेजिससे जनता आर्थिक दृष्टिकोण से सम्पन्न होकर अधिक कर देने में समक्ष हो सके और उसके पश्चात् समयानुसार उसमें थोड़ी–थोड़ी वृद्धि करते हुए कर भार क्रमशः बढ़ाता रहे। जैसे बछड़ों को पहले–पहलबोझढोने का अभ्यास कराने वाला पुरुष उन्हें प्रयत्नपूर्वक नाथता है और धीरे–धीरे उन पर अधिक भारलादता रहता है, उसी प्रकार प्रजा पर भी कर का भार पहले कम रखेय फिर उसे धीरे–धीरे बढ़ाए। यदिउनको एक साथ नाथकर ऊपर भारी भार लादना चाहे तो उन्हें काबू में लाना कठिन हो जायेगा।''[5]

टेक्स वसूली– महाभारत में उल्लेखित है कि धनवान व्यक्तियों से कर वसूलते समय राजा को चाहिए कि वह उनका भोजन, वस्त्र और अन्न–पान आदि के द्वारा स्वागत सत्कार करे और उनसेविनयपूर्वक करें कि आप लोग मेरे सहित मेरी इस प्रजा पर कृपा दृष्टि रखें। धनी लोग राष्ट्र के मुख्य अंग है। धनवान पुरुष समस्त प्राणियो में प्रधान होता है, इसमें संशय नहीं है। धनी, धर्मनिष्ठ, विद्वान, शूरवीर, तपस्वी, सत्यवादी तथा बुद्धिमान मनुष्य ही प्रजा की रक्षा करते हैं।'' विद्वान ब्राह्मण, स्त्रियाँ एवं बालक राजकर से मुक्त होते थे।[6]

आपातकालीन राजस्व महाभारत पर्व में राजा को विपत्ति में किस प्रकार कर ग्रहण करना चाहिए, इस सम्बन्ध में कहा गया है कि राजा अपने राज्य का सर्वत्र दौरा करे और लोगों को शत्रु के आक्रमण का भय दिखाते हुए कहे कि इस घोर विपत्ति और वारुण भय के समय में आप लोगों की रक्षा के लिए ऋण के रूप में धन माँग रहा हूँ। जब यह भय दूर हो जायेगा, उस समय सारा धन मैं आपको लौटा दूंगा। शत्रु आकर यहाँ से बलपूर्वक जो धन लूट ले जायेंगे, उसे वे कभी वापस नहीं करेंगे। शत्रुओं का आक्रमण होने पर आपकी स्त्रियों पर पहले संकट आयेगा। उसके साथ ही आपका सारा धन नष्ट हो जायेगा। स्त्री और पुत्रों की रक्षा के लिए धन संग्रह की आवश्यकता होती है। इस समय राष्ट्र पर आए संकट को टालने के लिए मैं आप लोगों से आपकी शक्ति के अनुसार ही धन ग्रहण करूँगा, जिससे राष्ट्रवासियों को किसी प्रकार का कष्ट न हो। जैसे बलवान बैल दुर्गम स्थानों में भी बोझढोकर पहुँचाते हैं, उसी प्रकार आप लोगों को भी देश पर आई हुई उस विपत्ति के समय कुछ भार उठाना ही चाहिए।

वैसेमहाभारत शान्तिपर्व में प्रजा को कर भार अधिक न लगे, इसके लिए रोचक प्रसंगों द्वारा इसे समझाया गया है। हे राजन! तुम माली के समान बनो। कोयला बनाने वाले के समान न बनो। माली वृक्ष की जड़ को सींचता है और उसकी रक्षा करता है, तब उससे फल और फूल ग्रहण करता है, परन्तु कोयला बनाने वाला वृक्ष को समूल नष्ट कर देता है, उसी प्रकार तुम माली के समान बनकर राज्य रूपी उद्यान को सींचकर सुरक्षित रखो और फल–फूल की तरह प्रजा से न्यायोचित कर लते रहो। कोयला बनाने वाले की तरह राज्य को जलाकर भस्म न करो। ऐसा करके तुम दीर्घकाल तक राज्य का उपभोग कर सकोगे।''[7]

महाभारत के उद्योग पर्व में कहा गया है कि जैसे भौरा फूलों की रक्षा करता हुआ ही उनके मधु को ग्रहण करता है, उसी प्रकार राजा भी प्रजा को कष्ट दिए बिना ही उनसे धन ले। जैसे माली बगीचे में एक–एक फूल तोड़ता है, उसकी जड़ नहीं काटता, उसी प्रकार राजा प्रजा की रक्षापूर्वक उनसे कर ले। राजा को परामर्श दिया गया है कि वह परिस्थिति और समय के प्रतिकूल प्रजा पर कर न डालते हुए उसे समझा–बुझाकर उचित रीति से कर वसूल करे।''[8]

शिल्प व्यवस्था और राजस्व महाभारत में व्यापारियों एवं शिल्पियों पर कर लगाते समय ध्यान रखने योग्य बातों पर भी विचार किया गया है। शान्तिपर्व'' में स्पष्ट मत है कि राजा को माल की खरीद–बिक्री, उसके मँगाने का खर्च, उसमें काम करने वाले नौकरों के वेतन, बचत और योगक्षेम के निर्वाह की दृष्टि रखकर ही व्यापारियों पर कर लगाना चाहिए।[9] इसी तरह माल की तैयारी, उसकी खपत तथा शिल्प की उत्तम, मध्यम श्रेणियों का बार–बार निरीक्षण करके शिल्प एवं शिल्पकारों पर कर लगावें। इसेऔर अधिक स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि राजा यदि वैश्यों के लाभ–हानि की परवाह न करके उन्हें कर भार से विशेष कष्ट पहुँचाता है तो वे राज्य को छोड़कर भाग जाते हैं, और वन में जाकर रहने लगते हैं।'' अतः राजा को इन लोगों के प्रति विशेष उदारता का बर्ताव करना चाहिए, साथ ही यह महत्त्वपूर्ण चेतावनी के साथ वर्णित है कि धनी अपराधी को सम्पत्ति से वंचित कर दिया जाना चाहिए।'' राजा को यह भी परामर्श दिया गया है कि वह व्यापारियों को उनके परिश्रम का फल देता रहे, क्योंकि ये ही राष्ट्र के वाणिज्य व्यवसाय तथा खेती की उन्नति करते हैं।''[10] शिल्पी लोग भी अत्यधिक कर भार से ग्रस्त न हों इसके लिए कहा गया है कि राजा शिल्पियों को चौमासे के लिए वस्तु निर्माण राज्य की ओर से प्रदान करे।'' अतः राजा को चाहिए कि वह वर्णित लोगों पर अधिक कर भार आरोपित न करे।''

व्यवस्था एवं व्यवहार– महाभारत में कर लेने हेतु राज्य कर्मचारी द्वारा कठोरतापूर्वक कर वसूलने पर दण्ड विधान का भी उल्लेख है। भीष्म कहते हैं कि रक्षा कार्य में नियुक्त अधिकारी लोग हिंसक स्वभावः के होकर दूसरों का अहित चाहने लगते हैं और छलपूर्वक पराए धन का अपहरण करने लगते हैं, अतः राजा को चाहिए कि वह प्रजावर्ग की इन लोगों से रक्षा करे।'' भीष्म युधिष्ठिर से कहते हैं कि महाराज! जो राज कर्मचारी उचित से अधिक कर वसूल करते, कराते हैं वे तुम्हारे हाथ से दण्ड पाने योग्य है। जिसका प्रभाव यह होगा कि दूसरे अधिकारी भी आकर उन्हें ठीक–ठाक भेंट या कर लेने के अभ्यास हेतु प्रेरित करेंगे।''[11]

इस काल में उद्धरित करते हुए नारद युधिष्ठिर से प्रश्न करते हैं कि राजन्! कर वसूल करने का काम करने वाले तुम्हारे कर्मचारी लोग दूर से लाभ उठाने के लिए आए हुए व्यापारियों से नियत कर नियम से अधिक तो नहीं लेते? व्यापारी लोग आपके नगर और राष्ट्र में सम्मानित् हों, उनको बिक्री के लिए उपयोगी सामान व उनका कर्मचारी छल से ठगी तो नहीं करते हैं'' जैसे यक्ष प्रश्नों से उद्धरित करते हुए नीति का मत प्रकट किया है।[12]

विभिन्न सन्दर्भों में महाभारत में अर्थमंत्री की नियुक्ति की बात भी कही गई है। कहा गया है कि जिनमें विनययुक्त बुद्धि, सुन्दर स्वभाव, तेज, वीरता, क्षमा, पवित्रता, प्रेम, धृति और स्थिरता हो, उनके उन गुणों की परीक्षा करके यदि वे राजकीय कार्यभार को समभालने में प्रौढ़ तथा निष्कपट सिद्ध हों तो राजा उनमें से पांच व्यक्तियों को चुनकर अर्थमंत्री बनावें। चूँकि अर्थ सम्बन्धी कार्य अत्यधिक महत्त्व के होते हैं, इसलिए राजा को परामर्श दिया गया है कि जो (राजा) स्वयं ही अर्थ संबंधी समस्त कार्य को देखता है, वह चिरकाल तक सुख का उपभोग करता है।'' राजा को निर्देश दिया गया है कि वह केवल कुछ ही लोगों यथा व्यापारी, शिल्पी, कृषक आदि से ही कर वसूल न करें, अपितु उसे सभी से थोड़ा–थोड़ा धन लेना चाहिए जैसे मधुमक्खी अनेक फूलों से रस संचय करती है।[13] प्रजा से कर वसूलते समय राजा को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वह अत्यन्त गरीब है, इससे प्राप्त कर अत्यल्प है, इससे क्या लेना? जैसे घी से सिंचित थोड़ी सी आग विकराल रूप धारण कर लेती है, छोटा सा बीज बो देने पर सहस्रों बीजों को पैदा करता है, वैसे ही राजा को थोड़े से धन का भी अनादर नहीं करना चाहिए। संकटकाल में तो राजा को अत्यन्त निर्धन प्रजा से भी साध्य धन लेकर कोष बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। अतः राजा को चाहिए कि सारी प्रजा पर अनुग्रह करते हुए उनसे कर वसूल करें।''[14] राजा को चाहिए कि वह केवल कर के द्वारा ही धन का संग्रह न करे, अपितु अन्य

उपायों से भी इसका संचय करे। जैसे लोग जंगल से फूल चुनते हैं, उसी प्रकार राजाबाहर से भी धन का संग्रह करे।'' उल्लेखनीय यह भी है कि विपत्तिकाल में राजा यदि प्रजा को पीड़ा देकर भी कोष या धन का संग्रह करता है तो उसे पाप नहीं लगता। इसी पर्व में उपर्युक्त कथन के विरोध से यह भी कहा गया है कि विपत्ति के समय भी यदि प्रजा को दुःख देकर धन वसूल किया जाता है तो पीछे वह राजा के लिए विनाश के तुल्य सिद्ध होता है।''

स्त्रोत– महाभारत में उल्लेख है कि राजा जो कर प्राप्त करता है, वह वस्तुतः राजा का वेतन है। राजा कर से प्राप्त आय से ही प्रजा के योझक्षेम में 1/6 से 1/10 भाग का भुगतान कर हेतु निर्धारित किया गया था।'' शान्तिपर्व'' में उल्लेख है कि प्रजा की आय का छठा भाग कर के रूप में ग्रहण करके, उचित शुल्क या कर लेकर, अपराधियों को आर्थिक दण्ड देकर तथा शास्त्र के अनुसार व्यापारियों की रक्षा आदि करने के कारण उनके दिए हुए वेतन को लेकर इन्हीं उपायों तथा मार्गों से राजा को धन संग्रह की इच्छा रखनी चाहिए। प्राप्त कर क साधनों कर, शुल्क, चुंगी और आर्थिक दण्ड से प्राप्त आय का विशद उल्लेख किया गया है।[15]

प्रशासनिक व्यवस्था– महाभारतकालीन प्रशासनिक तन्त्र से यह सिद्ध होता है कि राजा द्वारा लोगों से राजस्व की वसूली अपने कर्त्तव्यों को अच्छे प्रकार से निर्वहन के लिए लिया गया निर्णय था। राजस्व को एकत्र करना राजा और राज्य के सीधे नियन्त्रण में नहीं था। गाँव के मुखिया गाँव वालों से राजस्व एकत्रित करते थे। गाँव के मुखिया द्वारा एकत्रित राजस्व नकद या वस्तु के रूप में राष्ट्र में जमा कराया जाता था, जो कि आगे सर्वोच्च अधिकारियों को तथा अन्त में यह राजस्व केन्द्रीय राजकोष में जमा होता था।

इसमें राजस्व से संबंधित अनेक अधिकारियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें शुल्कापाजीविन'' (टैक्स कलेक्टर), गणक, लेखक, कोषपाल'' (कोषागाराध्यक्ष), राजकोषगोप्ता'' (कोष का संरक्षक), स्वार्थचिन्तक'' आदि उल्लेखनीय है। यह प्रमाण यह सिद्ध करते हैं कि राजा ने कर और राजस्व, सरकारी काँचे द्वारा प्रजा से लेना प्रारम्भ कर दिया था। महाभारत में कोषगृह'' का उल्लेख मिलता है, जिसमें राजस्व जमा कराया जाता था तथा अनाज को संग्रहित किया जाता था। साधारणतया कर नकद एवं वस्तु दोनों रूप में लिया जाता था। कोष के विषय में महाकाव्य का स्पष्ट मत है कि राजा को धान्य कोठार में ईमानदार तथा विश्वसनोय अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए। राज्य की आय एवं व्यय को सन्तुलित करने के लिए बजट का उल्लेख भी महाभारत में मिलता है।''

सार स्वरूप कहा जा सकता है कि महाभारत कालीन राजस्व, लेन–देन प्रशासनिक कार्य अपने आप में अलग था साथ ही देखा जाये तो अत्यधिक खर्च राजा के राजस्व के लिए एक बोझ हो सकता था इसलिए खर्च को आय के अनुसार व्यवस्थित करते रहते थे। घाटे के बजट को उस समय नुकसानदायक माना जाता था। इसलिए राजा को बजट के निर्माण में विशेष ध्यान देना चाहिए होता था। उसे लोक कल्याणकारी कार्य करके प्रजा को प्रसन्न रखना चाहिए उसकी प्रमुख आवश्यकता बन गई थी। इस प्रकार महाभारत काल में राजस्व व्यवस्था की विशद् विवेचना मिलती है। जिसका वर्तमान में अनुकरण कर लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित किया जा सकता है।आदिपर्व, सभापर्व, अरयण्कपर्व, विराटपर्व, उद्योगपर्व, भीष्मपर्व, द्रोणपर्व, कर्णपर्व, शल्यपर्व, सौप्तिकपर्व, स्त्रीपर्व, शांतिपर्व, अनुशासनपर्व आदि में विभिन्न स्थानों पर आर्थिक पक्षों, राजस्व वसूली, प्रशासन–प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है।

संदर्भसूची

1. अर्थस्वइत्येव सर्वेषां कर्मणा मत्यतिक्रमः। महाभारत आपद्धर्मपर्व, अध्याय 67, श्लोक 12
2. महाभारत, शान्ति पर्व, अध्याय 56, श्लोक 44–45
3. महाभारत, शान्ति पर्व, अध्याय 71, श्लोक 10
4. वही, शान्ति पर्व 71/10–11
5. बेनीप्रसाद, व स्टेट इन एन्शियंट इण्डिया, पृ. 96
6. महाभारत, CXXIII 16;शान्ति पर्व, CXIX, CXXX
7. वही, शान्ति पर्व, LXXXVIII-20
8. वही, शान्ति पर्व, CXXVIII-35
9. वही, शान्ति पर्व, CXXXVIII-11
10. वही, LVIII-8;आश्रम, XII-8
11. वही, V-62
12. वही, सभापर्व, V-62
13. महाभारत, V-62
14. वही, आश्रमय XXIX-21
15. वही, सभापर्व, LXXXIII, 2-8